



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022022-233780
CG-DL-E-28022022-233780

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]
No. 165]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 168(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 16 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (लेखा वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "प्रारूप" से इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है;

- (घ) “निधि” से अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन गठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निधि अभिप्रेत है;
- (ङ) “अनुसूची” से इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (च) “वर्ष” से किसी वर्ष के 01 अप्रैल को आरंभ होने वाला और ठीक आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला कोई वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. खातों और अभिलेखों का रखरखाव.- (1) प्राधिकरण अपने खातों और अभिलेखों को इन नियमों के साथ उपबद्ध वित्तीय विवरणों के रूप में बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

- (i) प्ररूप क में तुलनपत्र
- (ii) प्ररूप ख में आय और व्यय खाता
- (iii) प्ररूप ग में प्राप्ति और भुगतान खाते

(2) प्राधिकरण वित्तीय विवरणों को बनाए रखने में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से दिए गए केन्द्रीय सरकार के साधारण निर्देशों का पालन करेगा।

4. प्राधिकरण का वित्तीय विवरण तैयार करना और प्रस्तुत करना.- (1) प्राधिकरण अपने वित्तीय विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां प्रपत्रों और अनुसूचियों के अनुसार तैयार करेगा।

(2) अध्यक्ष, प्राधिकरण के वित्त लेखा विभाग के प्रभारी कार्यकारी निदेशक एवं प्राधिकरण की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण के वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के तीन मास की अवधि के भीतर लेखापरीक्षा हेतु अग्रेषित किए जाएंगे।

(3) प्राधिकरण इन नियमों के अधीन तैयार किए गए वित्तीय विवरणों को कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षण करेगा।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित, प्राधिकरण के सम्यक रूप से लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण साथ ही लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

तुलनपत्र का प्ररूप

[नियम 3(1) देखें]

प्ररूप - क

आईएफएससी प्राधिकरण तुलनपत्र के रूप में.....

(राशि रुपये में)

निधियां और देनदारियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/पूजगीत निधि	I		
अरक्षितियां और अधिशेष	II		
चिन्हित और अक्षय निधि	III		
प्रतिभूत ऋण और उधार	IV		

अप्रतिभूत ऋण और उधार	V		
आस्थगित ऋण दायित्व	VI		
वर्तमान दायित्व और उपबंध	VII		
कुल			
आस्तियां			
स्थिर आस्ति	VIII		
निवेश – चिन्हित/अक्षय निधियों से	IX		
निवेश – अन्य	X		
वर्तमान आस्ति, ऋण और अग्रिम	XI		
विविध व्यय (समाप्त या समयोजित होने तक)			
कुल			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXIII		
अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां	XXIV		

कार्यकारी निदेशक
(वित्त और लेखा के प्रभारी)
आईएफएससीए

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
अध्यक्ष
लेखा परीक्षा समिति,
आईएफएससीए

अध्यक्ष
आईएफएससीए

स्थान: गांधीनगर

तारीख:

प्रारूप ख
समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाता
[नियम 3(1) देखें]

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुदान/सहायता राशि	XII		
अनुदान /सहायता राशि के लिए पूर्व अवधि समायोजन	XXIIक		
शुल्क/अभिदान	XIII		
शुल्क/अभिदान से आय के लिए पूर्व अवधि समायोजन	XXIIक		
निवेश से आय (निधियों में अंतरित किए गए चिन्हित/अक्षय निधियों में निवेश से प्राप्त आय)	XIV		
निवेश से आय के लिए पूर्व अवधि समायोजन	XXIIक		
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय	XV		
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय के लिए पूर्व अवधि समायोजन	XXIIक		
अर्जित ब्याज	XVI		
अर्जित ब्याज के लिए पूर्व अवधि समायोजन	XXIIक		

अन्य आय	XVII		
अन्य आय के लिए पूर्व अवधि समायोजन	XXII क		
कुल (क)			
व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
स्थापना व्यय	XVIII		
स्थापना व्यय के लिए पूर्व अवधि समायोजन	XXIIख		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	XIX		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि के लिए पूर्व अवधि समायोजन।	XXIIख		
अनुदान/सहायता राशि आदि पर व्यय	XX		
अनुदान/सहायता राशि आदि पर व्यय के लिए पूर्व अवधि समायोजन।	XXIIख		
ब्याज	XXI		
ब्याज के लिए पूर्व अवधि समायोजन	XXIIख		
अवमूल्यन (वर्ष के अंत में निवल कुल योग अनुसूची VIII के अनुरूप)			
अवमूल्यन के लिए पूर्व अवधि समायोजन	XXIIख		
कुल (ख)			
व्यय से अधिक आय का शेष (क-ख)			
विशेष अराक्षिति में अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)			
सामान्य अराक्षिति में/से अंतरण			
समूह/पूंजी निधि में अंतरित किए गए अधिशेष (कमी)			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXIII		
अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां	XXIV		

कार्यकारी निदेशक
(वित्त और लेखा के प्रभारी)
आईएफएससीए

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
अध्यक्ष
लेखा परीक्षा समिति,
आईएफएससीए

अध्यक्ष
आईएफएससीए

स्थान: गांधीनगर
तारीख:

प्ररूप ग
समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाते
[नियम 3(1) देखें]

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. आरंभिक अतिशेष			I. व्यय		
(क) नकदी			क) स्थापना व्यय (अनुसूची 18 से संबंधित)		
(ख) शेष राशि			ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 19 से संबंधित)		
(i) चालू खातों में					
(ii) जमा खातों में					
(iii) बचत खाते					
(II). प्राप्त अनुदान			(II). विभिन्न परियोजनाओं की निधि के लिए किया गया भुगतान (निधि या परियोजना का नाम, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के ब्योरे सहित दर्शाया जाएगा)		
(क) भारत सरकार से					
(ख) अन्य स्रोतों से (ब्योरे) (पूंजी और राजस्व व्यय के अनुदान को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा)					
III. निवेश प्ररूप सम्बन्धी आय			III. किए गए निवेश और जमा		
(क) चिन्हित/अक्षय निधियां			क) चिन्हित/अक्षय निधियों से		
(ख) स्वामित्व प्राप्त निधियां (निवेश - अन्य)			(ख) स्वामित्व प्राप्त निधियां (निवेश -		

			अन्य) से		
(IV) प्राप्त व्याज			(IV) स्थिर आस्तियों और प्रगतिशील पुंजी सम्बन्धी व्यय		
(i) बैंक जमा			क) स्थित आस्तियों की खरीद		
(ii) ऋण, अग्रिम आदि			ख) प्रगतिशील पुंजी सम्बन्धी व्यय		
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
			क) भारत सरकार से		
			ख) निधियों के अन्य प्रदाताओं से		
VI. उधार ली गई राशि			VI. वित्तीय प्रभार (व्याज)		
VII. अन्य प्रप्तियां (विवरण दें)			VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
			VIII. अंतिम आतिषेश		
			क) नकदी		
			ख) बैंक शेष		
			(i) चालू खातों में		
			(ii) जमा खातों में		
			(iii) बचत खाते		
कुल			कुल		

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

कार्यकारी निदेशक
(वित्त और लेखा के प्रभारी)
आईएफएससीए

अध्यक्ष
लेखा परीक्षा समिति,
आईएफएससीए

अध्यक्ष
आईएफएससीए

स्थान: गांधीनगर
तारीख

अनुसूची - I
[नियम 4(1) देखें]
कॉर्पस/पूंजीगत
निधि

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष राशि		
अतिरिक्ति: निधि में किया गया अंशदान		
जोड़/(घटाएं): आय और व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष		
वर्ष के अंत में अतिशेष राशि		

अनुसूची - II
[नियम 4(1) देखें]
अरक्षितियां और अधिशेष

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार पूंजी आरक्षिति घटाएं: वर्ष के दौरान घटाई गई राशि		
2 वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार मूल्यांकन आरक्षिति घटाएं: वर्ष के दौरान घटाई गई राशि		
3. 2 वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार विशेष आरक्षिति घटाएं: वर्ष के दौरान घटाई गई राशि		
4. वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार सामान्य आरक्षिति घटाएं: वर्ष के दौरान घटाई गई राशि		
कुल		

अनुसूची - III
[नियम 4(1) देखें]
चिन्हित/अक्षय निधियां

	निधिवार ब्योरा	कुल	
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(क) निधियों का प्रारम्भिक अतिशेष			
(ख) निधियों में अतिरिक्त राशि जोड़ना			
(i) दान/अनुदान			

(ii) निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय			
(iii) अन्य अतिरिक्त राशियां (प्रकृति निर्दिष्ट करें)			
कुल (क + ख)			
(ग) निधियों के उद्देश्य के प्रति किया गया प्रयोग/व्यय			
(i) पूंजी व्यय			
- स्थिर आस्तियां			
- अन्य			
कुल			
(ii) राजस्व व्यय			
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।			
- किराया			
- अन्य प्रशासनिक व्यय			
कुल			
कुल (ग)			
वर्ष की समाप्ति के दौरान निवल शेष (क + ख - ग)			

1. अनुदान से जुड़ी शर्तों के आधार पर संबंधित शीर्षों के अधीन प्रकटीकरण किया जाएगा।
2. केन्द्रीय सरकार से प्राप्त योजना निधि को पृथक निधि के रूप में दिखाया जाना है और किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाना है।

अनुसूची - IV

[नियम 4(1) देखें]

प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार				
2. वित्तीय संस्थान				
(क) अवधि ऋण				
(बी) अर्जित ब्याज और देय				
3. बैंक				
(क) अवधि ऋण - अर्जित ब्याज और देय				
(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)				

- अर्जित ब्याज और देय				
4. अन्य संस्थान और अभिकरण				
5. डिबेंचर और बांड				
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल				
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय राशि				

अनुसूची - V

[नियम 4(1) देखें]

अप्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार		
2. वित्तीय संस्थान		
3. बैंक		
(क) अवधि ऋण		
(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
4. अन्य संस्थान और अभिकरण		
5. डिबेंचर और बांड		
6. स्थिर जमा		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची - VI

[नियम 4(1) देखें]

आस्थगित ऋण दायित्व

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. पूंजी उपकरण और अन्य आस्तियों के मालबंधक (हाइपोथिकेशन) द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां		
2. अन्य		
कुल		
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची - VII

[नियम 4(1) देखें]

वर्तमान दायित्व और उपबंध

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
क. वर्तमान दायित्व				
1. स्वीकृतियां				
2. विविध लेनदार:-				
(क) सामान के लिये				
(ख) अन्य				
3. प्राप्त अग्रिम				
4. ...प्रोदभूत ऋण जो शोध्यन हो:				
(क) प्रतिभूत ऋण/उधार				
(ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार				
5. कानूनी दायित्व:				
(क) अतिदेय				
(ख) अन्य				
6. अन्य वर्तमान दायित्व				
कुल (क)				
ख. उपबंध				
1. कराधान के लिए				
2. उपदान				
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन				
4. संचित अवकाश नकदीकरण				
5. व्यापार वारही/दावे				
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल (ख)				
कुल (क + ख)				

स्थिर आस्तियां										
वर्तमान वर्ष का कुल										
पिछले वर्ष का कुल										
ख. चालू पूंजी संकर्म										
कुल										

टिप्पण: उपरोक्त में सम्मिलित अवक्रय पर ली आस्तियों की लागत के रूप में दी गयी लागत सम्मिलित है।

अनुसूची – IX

[नियम 4(1) देखें]

चिन्हित और अक्षय निधियों से निवेश

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर और बांड		
5. अनुषंगी और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
कुल		

अनुसूची - X

[नियम 4(1) देखें]

निवेश – अन्य

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर और बांड		
5. अनुषंगी और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
कुल		

अनुसूची - XI
[नियम 4(1) देखें]
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
	वर्तमान आस्ति, ऋण, अग्रिम आदि				
क	वर्तमान आस्तियां:				
	1. ऋण:				
	(क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए देय ऋण				
	(ख) अन्य				
	2. वर्तमान नकद अतिशेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)				
	3. वस्तु सूची				
	4. बैंक अतिशेष:				
	(क) अनुसूचित बैंकों के साथ:				
	- चालू खातों में				
	- जमा खातों में				
	- बचत खातों में				
	(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:				
	- चालू खातों में				
	- जमा खातों में				
	- बचत खातों में				
	5. डाकघर - बचत खाते				
	कुल (क)				
ख	ऋण, अग्रिम और अन्य आस्ति				
	1. निम्नलिखित को ऋण:				
	(क) स्टाफ				
	(ख) अन्य इकाइयों को जो किसी इकाई के समान किसी कार्यकलाप/उद्देश्य के लिए कार्य करती हो				
	(ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)				
	2. नकद या वास्तु या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में अन्य वापसी योग्य राशि और अग्रिम				
	(क) पूंजी खाते पर				
	(ख) पूर्व भुगतान				
	(ग) अन्य				
	3. अर्जित आय				
	(क) चिन्हित और अक्षय निधियों से किए गए निवेश पर				
	(ख) निवेश- अन्य पर				
	(ग) ऋण और अग्रिमों पर				
	घ) अन्य (नकद करने के लिए देय राशि अर्थात् रुपये सहित)				

4. प्राप्य दावे				
कुल (ख)				
कुल (क+ख)				

अनुसूची - XII

[नियम 4(1) देखें]

अनुदान/सहायता राशि

(वापिस न किये जाने वाले अनुदान/सहायता राशि)

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार		
2. सरकारी अभिकरण		
3. संस्थान/कल्याण निकाय		
4. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची - XIII

[नियम 4(1) देखें]

शुल्क/अभिदान

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. वार्षिक/अभिदान शुल्क		
2. सूचीकरण शुल्क		
3. रजिस्ट्री शुल्क		
4. नवीनीकरण शुल्क		
5. आवेदन शुल्क		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पण - प्रत्येक मद के लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किया जाना है

अनुसूची - XIV

[नियम 4(1) देखें]

निवेश से आय

(चिन्हित/अक्षय निधियों से निधियों में अंतरित होने वाली निधियों में निवेश से आय)

(राशि रुपये में)

	चिन्हित निधियों से निवेश		निवेश - अन्य	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बांड / डिबेंचर				
2. लाभांश				
क) शेयरों पर				
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल				
चिन्हित निधियों में अंतरित				

अनुसूची XV

[नियम 4(1) देखें]

रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशनों से आय		
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची XVI

[नियम 4(1) देखें]

अर्जित ब्याज

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आवधिक जमा कर		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
(ग) संस्थानों के साथ		

(घ) अन्य		
2. बचत खातों पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
(ग) डाकघर बचत खाते		
(घ) अन्य		
3. ऋण पर		
(क) कर्मचारी / कर्मचारीवृद्ध		
(ख) अन्य		
4. ऋणियों और अन्य प्राप्तियों पर व्याज		
कुल		
टिप्पण - स्रोत पर पर कटा गया कर उपदर्शित करें		

अनुसूची - XVII

[नियम 4(1) देखें]

अन्य
आय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आस्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
(क) स्वामित्व वाली आस्तियां		
(ख) अनुदान में से अर्जित, या निःशुल्क प्राप्त हुई आस्तियां		
2. प्रकीर्ण सेवाओं के लिए शुल्क		
3. प्रकीर्ण आय		
कुल		

अनुसूची XVIII

[नियम 4(1) देखें]

स्थापना व्यय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी		
(ख) भत्ते और बोनस		
(ग) भविष्य निधि में अभिदाय		
(घ) अन्य निधि (निर्दिष्ट करें) में अभिदाय		
(ङ) कर्मचारीवृद्ध कल्याण व्यय		

(च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभ सम्बन्धी व्यय		
(छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची XIX

[नियम 4(1) देखें]

अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(क) विद्युत और शक्ति		
(ख) जल प्रभार		
(ग) बीमा		
(घ) सुधार और अनुरक्षण		
(ङ) किराया, दरें और कर		
(च) चलने वाले वाहन, रखरखाव या किराए पर लेने का प्रभार		
(छ) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार		
(ज) मुद्रण और लेखन सामग्री		
(झ) यात्रा और प्रवहन व्यय		
(ञ) संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय		
(ट) अंशदान व्यय		
(ठ) शुल्क सम्बन्धी व्यय		
(ड) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक / विधिक शुल्क		
(ढ) आतिथ्य व्यय		
(ण) वृत्तिक प्रभार		
(त) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों हेतु उपबंध		
(थ) बट्टे खाते में डाले गए अपूरणीय शेष		
(द) बैंकिंग प्रभार		
(ध) माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय		
(न) वितरण व्यय		
(प) विज्ञापन और प्रचार		
(फ) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		
कुल		

अनुसूची XX
[नियम 4(1) देखें]
अनुदान/सहायता राशि आदि पर व्यय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
(ख) संस्थानों/संगठनों को दी जाने वाली सहायता राशि		
कुल		

टिप्पण: इकाइयों का नाम, उनके कार्यकलाप के साथ-साथ अनुदान/सहायता राशि का प्रकटीकरण किया जाना है।

अनुसूची XXI
[नियम 4(1) देखें]
ब्याज

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(क) स्थिर ऋणों पर		
(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		
(ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची XXII क
[नियम 4(1) देखें]
आय के लिए पूर्व अवधि समायोजन

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. आय		
(क) अनुदान/ सहायता राशि		
(ख) शुल्क / अभिदान		
(ग) निवेश से आय		
(घ) रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय।		
(ङ) अर्जित ब्याज		
(च) अन्य आय		
कुल (क)		

अनुसूची XXII ख
[नियम 4(1) देखें]
व्यय के लिए पूर्व अवधि समायोजन

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ख. व्यय		
(क) स्थापना व्यय		
(ख) अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
(ग) अनुदानों, सहायता राशि आदि पर व्यय		
(घ) व्याज		
(ङ) अवमूल्यन (वर्ष के अंत में निवल कुल योग अनुसूची VIII के अनुरूप)		
कुल (ख)		

अनुसूची - XXIII

[नियम 4(1) देखें]

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाटी

1.1. वित्तीय विवरण जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर और लेखांकन की प्रोद्भूत पद्धति पर तैयार किए जाते हैं।

2. निवेश

2.1. "दीर्घावधि निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी से भिन्न अन्य ह्रास का उपबंध ऐसे निवेशों की लागत वहन करने में किया जाता है।

2.2. "वर्तमान" के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का उपबंध प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से माना जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

2.3. लागत के अंतर्गत दलाली, हस्तांतरण स्टैम्प जैसे अर्जित व्यय सम्मिलित हैं।

3. स्थिर आस्तियां

3.1. स्थिर आस्तियों को अर्जन की लागत पर आवक भाड़ा, शुल्क और करों और अर्जन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्ययों सहित कथन किया गया है। सनिर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व-संचालन व्यय (इसके पूरा होने से पहले विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण पर ब्याज सहित), पूंजीकृत आस्ति के मूल्य का हिस्सा बनते हैं।

3.2. गैर-मौद्रिक अनुदानों (निधि से भिन्न) के माध्यम से प्राप्त अचल आस्तियों को पूंजी आरक्षित में संबंधित उधार द्वारा बताए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

4. अवमूल्यन

4.1. स्थिर आस्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देनदारियों के रूपांतरण के कारण उत्पन्न लागत समायोजन पर अवमूल्यन को छोड़कर, आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी-रेखा पद्धति पर अवमूल्यन प्रदान किया जाता है, जो संबंधित आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर परिशोधित होता है

4.2. वर्ष के दौरान, स्थिर आस्तियों में वृद्धि/कटौती के संबंध में, अवमूल्यन को यथानुपात आधार पर माना जाता है।

4.3. 5,000 रुपये या उससे कम से युक्त आस्ति प्रत्येक को पूरी तरह से प्रदान किया जाता है।

5. प्रकीर्ण व्यय

5.1. आस्थगित राजस्व व्यय को उसके वहन किए जाने वाले वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

6. सरकारी अनुदान/ सहायता राशि

6.1. परियोजनाओं की स्थापना की पूंजीगत लागत के लिए योगदान की प्रकृति के सरकारी अनुदान को पूंजी आरक्षित के रूप में माना जाता है।

6.2. अर्जित विशिष्ट अचल आस्तियों के संबंध में अनुदान संबंधित आस्तियों की लागत से कटौती के रूप में दिखाया गया है। सरकारी अनुदान/ सहायता राशि को वसूली के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

7.1 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्ग के संव्यवहार का हिसाब संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

7.2. वर्तमान आस्तियों, विदेशी मुद्रा ऋण और चालू देनदारियां वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को स्थिर आस्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि स्थिर आस्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा देयता, और अन्य मामलों में है राजस्व माना जाता है।

8. पट्टा

8.1. पट्टा भाटक, पट्टा निबंधनों के संदर्भ में व्यय किए जाते हैं।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1. कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित की जाती है।

9.2. कर्मचारियों को संचित अवकाश नकदीकरण लाभ का उपबंध इस धारणा पर उपार्जित और परिकलित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

अनुसूची - XXIV

[नियम 4(1) देखें]

अनिश्चित दायित्व और लेखों पर टिप्पणियां

1. अनिश्चित दायित्व

1.1. निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में अस्वीकृत अस्तित्व के खिलाफ दावे - रु (पिछले वर्ष रु. _____)

1.1.1. अस्तित्व द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी - रु. _____ (पिछले वर्ष रु. _____)।

1.1.2 अस्तित्व की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र - रु. _____ (पिछले वर्ष रु. _____)।

1.1.3. बैंक के पास छूट वाले बिल- रु _____ (पिछले वर्ष रु. _____)।

1.2. विवादित मांगों, यदि कोई हों

1.3. आदेशों के निष्पादन न किए जाने के लिए पक्षकारों के दावों के संबंध में, परन्तु अस्तित्व द्वारा प्रतिवाद किया गया - रु. _____ (पिछले वर्ष रु. _____)।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य और (अग्रिमों का निवल) रुपये _____ (पिछले वर्ष रुपये. _____) के लिए प्रदान नहीं किया गया।

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी राशि के लिए वित्त पट्टा व्यवस्था के अधीन भाटक के लिए भावी बाध्यता रु. _____ (पिछले वर्ष रु. _____)

4. वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, वर्तमान आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का कारबार के सामान्य क्रम में वसूली पर मूल्य होता है, जो कम से कम तुलनपत्र में दिखाई गई कुल मूल्य के बराबर होता है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम 1961 के अधीन कोई कराधेय आय नहीं होने के कारण, आयकर के लिए कोई उपबंध आवश्यक नहीं माना गया है।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

6.1. सी.आई.एफ के आधार पर परिकल्पित आयातों का मूल्य:

6.1.1. पूंजीगत माल

6.1.2. स्टोर, स्पेयर और उपभोग्य वस्तुएं

6.2. विदेशी मुद्रा में व्यय:

6.2.1. यात्रा

6.3. वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज भुगतान

6.4. अन्य व्यय:**6.4.1. बिक्री पर कमीशन****6.4.2. कानूनी और व्यावसायिक व्यय****6.4.3. विविध व्यय****6.4.4. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक:**

- कराधान विषय
- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाणीकरण के लिए
- अन्य

6.5. उपार्जन:**7. जहां कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के तत्स्थानी आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित करना होगा।****8. अनुसूचियां I से XXIV संलग्न हैं और ये _____ तक तुलनपत्र का एक अभिन्न हिस्सा हैं और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय खाते हैं।**

[फा. सं. 3/7/2020-ईएम (भाग)]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2022

G.S.R. 168(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 27 read with sub-section(1) of section 16 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) and in consultation with the Comptroller and Auditor- General of India, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the International Financial Services Centres Authority (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, _

- (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019;
- (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Authority appointed under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Act;
- (c) “Form” means form annexed to these rules;
- (d) “Fund” means the International Financial Service Centres Authority Fund constituted under sub-section (1) of section 15 of the Act;

- (e) “Schedule” means Schedule annexed to these rules;
- (f) “Year” means a financial year beginning on the 1st day of April and ending on the 31st day of March of each year.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Maintenance of accounts and records.- (1) The Authority shall maintain its accounts and records in the Form of financial statements annexed to these rules, comprising of the following, namely: -

- (i) Balance sheet in Form A
- (ii) Income and expenditure account in Form B
- (iii) Receipt and payment accounts in Form C

(2) The Authority shall follow the general directions of the Central Government given in consultation with the Comptroller and Auditor General of India in maintaining the financial statements.

4. Preparation and submission of financial statement of Authority.- (1) The Authority shall prepare its financial statements and significant accounting policies as per the Forms and Schedules.

(2) The annual financial statements of the Authority, duly authenticated by the executive director in-charge of Finance Accounts Department of the Authority, Chairperson of the Audit Committee of the Authority and the Chairperson and approved by the Authority shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, for the purposes of audit, within a period of three months of the end of the financial year.

(3) The Authority shall preserve the financial statements prepared under these rules for a minimum period of five years.

(4) The duly audited annual financial statements of the Authority as certified by the Comptroller and Auditor General of India together with the audit report thereon shall be forwarded by the Chairperson for every financial year to the Central Government for laying before each House of Parliament.

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

[See rule 3(1)]

Form – A

IFSC Authority Balance Sheet as at _____

(Amount in Rs.)

FUNDS AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	I		
Reserves and Surplus	II		
Earmarked/Endowment Funds	III		
Secured Loans and Borrowings	IV		
Unsecured Loans and Borrowings	V		
Deferred Credit Liabilities	VI		
Current Liabilities and Provisions	VII		
TOTAL			
ASSETS			
Fixed Assets	VIII		
Investments - From Earmarked/Endowment Funds	IX		

Investments - Others	X		
Current Assets, Loans and Advances	XI		
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written of or adjusted)			
TOTAL			
Significant Accounting Policies	XXIII		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	XXIV		

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

**Executive Director
(In charge of Finance And
Accounts) IFSCA**

**Chairperson
Audit Committee,IFSCA**

**Chairperson
IFSCA**

Place: Gandhinagar

Date:

Form B

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR

ENDED _____

[See rule 3(1)]

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Grants/Subsidies	XII		
Prior Period Adjustment for Grants/Subsidies	XXIIA		
Fees/Subscriptions	XIII		
Prior Period Adjustment for Income from Fees/Subscriptions	XXIIA		
Income from Investments (Income on investment, from earmarked/endowment funds transferred to funds)	XIV		
Prior Period Adjustment for Income from Investments	XXIIA		
Income from Royalty, Publications etc.	XV		
Prior Period Adjustment for Income from Royalty, Publications etc.	XXIIA		
Interest Earned	XVI		
Prior Period Adjustment for Interest Earned	XXIIA		
Other Income	XVII		
Prior Period Adjustment for Other Income	XXII A		
Total (A)			
EXPENDITURE	Schedule	Current Year	Previous Year
Establishment Expenses	XVIII		
Prior Period Adjustment for Establishment Expenses	XXIIB		
Other Administrative Expenses etc.	XIX		
Prior Period Adjustment for Other Administrative Expenses etc.	XXIIB		
Expenditure on Grants, subsidies etc.	XX		
Prior Period Adjustment for Expenditure on Grants, Subsidies etc.	XXIIB		
Interest	XXI		
Prior Period Adjustment for Interest	XXIIB		
Depreciation (Net Total at the year-end corresponding to Schedule			

VIII)			
Prior Period Adjustment for Depreciation	XXII B		
Total (B)			
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to/from General Reserve			
Balance Being Surplus (Deficit) Carried to Fund			
Significant Accounting Policies	XXIII		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	XXIV		

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

**Executive Director
(In charge of Finance And
Accounts) IFSCA**

**Chairperson
Audit Committee, IFSCA**

**Chairperson
IFSCA**

Place: Gandhinagar

Date:

Form C

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED _____

[See rule 3(1)]

(Amount in Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balances			I. Expenses		
(a) Cash in Hand			a) Establishment expenses		
(b) Bank Balance			b) Administrative Expenses		
(i) In current Accounts					
(ii) In Deposit Accounts					
(iii) Saving Accounts					
II. Grants Received			II. Payment made against funds for various projects (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payment made for each project)		
(a) From Government of India					
(b) From Other Sources (Details)					
(Grants for Capital and Revenue					
Expenditure to be					

shown separately)					
III. Income on Investment from			III. Investments and Deposits Made		
(a) Earmarked/ Endowment funds			a) Out of Earmarked/Endowment funds		
(b) Own funds (Investment - others)			b) Out of own funds (Investment - others)		
IV. Interest Received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work- in-Progress		
(i) On Bank Deposits			a) Purchase of fixed Assets		
(ii) Loans, advances etc.			b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
V. Other Income (Specify)			V. Refund of surplus money/loans		
			a) To the Government of India		
			b) To other providers of funds		
VI. Amount Borrowed			VI. Finance Charges(Interest)		
VII. Any other receipts (give details)			VII. Other Payments(Specify)		
			VIII. Closing Balances		
			a) Cash in Hand		
			b) Bank Balances		
			(i) In currentAccounts		
			(ii) In DepositAccounts		
			(iii) SavingsAccounts		
TOTAL			TOTAL		

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

**Executive Director
(In charge of Finance And
Accounts) IFSCA**

**Chairperson
Audit Committee,IFSCA**

**Chairperson
IFSCA**

Place: Gandhinagar

Date:

SCHEDULE - I
[See rule4(1)]
Corpus/Capital Fund

(Amount in Rs.)

	Current Year		Previous Year	
Balance as at the beginning of the year				
Add: Contributions towards Fund				
Add/(Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account				
BALANCE AS AT THE YEAR –END				

SCHEDULE – II
[See rule 4(1)]**RESERVES AND SURPLUS**

(Amount in Rs.)

	Current Year		Previous Year	
1.Capital ReserveAs per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
2.Revaluation ReserveAs per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
3.Special Reserves As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
4.General ReserveAs per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
TOTAL				

SCHEDULE – III
[See rule 4(1)]**EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS**

	Fund Wise Break up	Totals	
		Current Year	Previous Year
(a) Opening balance of the fund			
(b) Additions to the Fund:			
(i) Donations/grants			
(ii) Income from investments made on account of fund			
(iii) Other additions (specify nature)			
Total (a + b)			
(c) Utilisation/Expenditure towards objectives of fund			
(i) Capital Expenditure			
- Fixed Assets			
- Others			
Total			
(ii) Revenue Expenditure			

- Salaries, Wages and allowances etc.			
- Rent			
- Other Administrative Expenses			
Total			
Total (c)			
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a + b - c)			

1. Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
2. Plan Funds received from the Central Government are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other funds.

SCHEDULE – IV
[See rule 4(1)]
SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rs.)

	Current Year		Previous Year	
1. Central Government				
2. Financial Institutions				
(a) Terms Loans				
(b) Interest accrued and due				
3. Banks				
(a) Term Loans	-			
Interest accrued and due				
(b) Other Loans (specify)				
- Interest accrued and due				
4. Other Institutions and Agencies				
5. Debentures and bonds				
6. Others (Specify)				
TOTAL				
Note: Amounts due within one year				

SCHEDULE – V
[See rule 4(1)]
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rs.)

	Current Year		Previous Year	
1. Central Government				
2. Financial Institutions				
3. Banks				
(a) Term Loans				
(b) Other Loans (specify)				
4. Other Institutions and Agencies				
5. Debentures and bonds				
6. Fixed Deposits				
7. Others (Specify)				
TOTAL				
Note: Amounts due within one year				

(b) Leasehold										
2. Buildings										
(a) On Freehold Land										
(b) On Leasehold Land										
(c) Ownership Flat/ Premises										
(d) Superstructures on Land not belonging to the entity										
3. Plant Machinery and Equipment										
4. Vehicles										
5. Furniture & Fixture										
6. Office Equipment										
7. Computers/ Peripherals										
8. Electrical Installations										
9. Library Books										
10. Tube wells and Water Supply										
11. Other Fixed Assets										
Total of Current year										
Total of previous year										
B. Capital work in progress										
TOTAL										

Note: To be given as to cost of assets on hire purchase basis included above.

SCHEDULE – IX

[See rule 4(1)]

INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE – X[See rule 4(1)] **INVESTMENTS – OTHERS**

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE – XI

[See rule 4(1)]

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCESETC.

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCESETC.		
A Current Assets:		
1. Debts:		
(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
(b) Others		
2. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)		
3. Inventories		
4. Bank Balances:		
(a) With Scheduled Banks:		
- In current accounts		
- In deposit accounts		
- In savings accounts		
(b) With Non-Scheduled Banks:		
- In current accounts		
- In deposit accounts		
- In savings accounts		
5. Post Office - Savings Accounts		
TOTAL (A)		
B LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans to:		

(a) Staff				
(b) Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the entity				
(c) Other (specify)				
2. Advances and other amount recoverable incash or in kind or for value to be received:				
(a) On capital account				
(b) Prepayments				
(c) Others				
3. Income Accrued				
(a) On investments from Earmarked/ Endowmentfund				
(b) On investment - others				
(c) On loans and advances				
d) Others (includes income due unrealized Rs)				
4. Claims Receivable				
TOTAL (B)				
TOTAL (A+ B)				

SCHEDULE – XII

[See rule 4(1)]GRANTS/SUBSIDIES

(Irrevocable Grants & Subsidies
Received)

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government		
2. Government Agencies		
3. Institutions/ Welfare Bodies		
4. International Organizations		
5. Others (Specify)		
TOTAL		

SCHEDULE – XIII

[See rule 4(1)]

FEES /SUBSCRIPTIONS

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. Annual/Subscription Fees		
2. Listing Fees		
3. Registration Fees		
4. Renewal Fees		
5. Application Fees		
6. Others (Specify)		
TOTAL		

Note - Accounting Policies towards each item are to be disclosed

SCHEDULE – XIV

[See rule 4(1)]

INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Invest. from Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds)

(Amount in Rs.)

	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1. Interest				
a) On Government Securities				
b) Other Bonds/ Debentures				
2. Dividends				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3. Rents				
4. Others (Specify)				
TOTAL				
Transferred to Earmarked Funds				

SCHEDULE XV

[See rule 4(1)]

**INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION
ETC.**

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. Income from Royalty		
2. Income from Publications		
3. Others (Specify)		
TOTAL		

SCHEDULE XVI

[See rule 4(1)]

INTEREST EARNED

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. On Term Deposits		
(a) With Scheduled Banks		
(b) With Non - Scheduled Banks		
(c) With Institutions		
(d) Others		
2. On Savings Accounts		
(a) With Scheduled Banks		
(b) With Non - Scheduled Banks		
(c) Post Office Savings Accounts		
(d) Others		
3. On Loans		
(a) Employees/Staff		
(b) Others		
4. Interest on Debtors and Other Receivables		
TOTAL		
Note - Tax deducted at source to be indicated		

SCHEDULE – XVII

[See rule 4(1)]

**OTHER
INCOME**

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. Profit on Sale/disposal of Assets		
(a) Owned Assets		
(b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2. Fees for Miscellaneous Services		
3. Miscellaneous Income		
TOTAL		

SCHEDULE XVIII[See rule 4(1)] **ESTABLISHMENT EXPENSES**

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) Salaries and Wages		
(b) Allowances and Bonus		
(c) Contribution to Provident Fund		
(d) Contribution to Other Fund (specify)		
(e) Staff Welfare Expenses		
(f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits		
(g) Others (Specify)		
TOTAL		

SCHEDULE XIX

[See rule 4(1)]

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) Electricity and power		
(b) Water charges		
(c) Insurance		
(d) Repairs and Maintenance		
(e) Rent, Rates and Taxes		
(f) Vehicles Running, Maintenance or Hiring charges		
(g) Postage, Telephone and Communication charges		
(h) Printing and Stationery		
(i) Travelling and Conveyance Expenses		
(j) Expenses on Seminar/ Workshops		
(k) Subscription Expenses		
(l) Expenses of fee		
(m) Auditors Remuneration/ Legal fee		
(n) Hospitality Expenses		
(o) Professional Charges		
p) Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances		
(q) Irrecoverable Balances written -off		
(r) Packing Charges		
(s) Freight and Forwarding Expenses		

(t) Distribution Expenses		
(u) Advertisement and Publicity		
(v) Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE XX

[See rule 4(1)]

EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.**(Amount in Rs.)**

	Current Year	Previous Year
(a) Grants given to Institutions/ Organizations		
(b) Subsidies given to Institutions/ Organizations		
TOTAL		

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/ subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE XXI[See rule 4(1)] **INTEREST****(Amount in Rs.)**

	Current Year	Previous Year
(a) On Fixed Loans		
(b) On Other Loans (including Bank Charges)		
(c) Others (specify)		
TOTAL		

SCHEDULE XXII A

[See rule 4(1)]

Prior Period Adjustment for Income**(Amount in Rs.)**

	Current Year	Previous Year
A. Income		
(a) Grants/Subsidies		
(b) Fees/Subscriptions		
(c) Income from Investments		
(d) Income from Royalty, Publication etc.		
(e) Interest Earned		
(f) Other Income		
Total (A)		

SCHEDULE XXII B

[See rule 4(1)]

Prior Period Adjustment for Expenditure**(Amount in Rs.)**

	Current Year	Previous Year
B. Expenditure		
(a) Establishment Expenses		
(b) Other Administrative Expenses etc.		
(c) Expenditure on Grants, subsidies etc.		
(d) Interest		
(e) Depreciation (Net Total at the year-end corresponding to Schedule (VIII))		
Total (B)		

SCHEDULE – XXIII**[See rule 4(1)]****SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****1. ACCOUNTING CONVENTION**

- 1.1. The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVESTMENTS

- 2.1. Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.
- 2.2. Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.
- 2.3. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

3. FIXED ASSETS

- 3.1. Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.
- 3.2. Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

4. DEPRECIATION

- 4.1. Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.
- 4.2. In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro- rata basis.
- 4.3. Assets consisting Rs. 5,000 or less each are fully provided.

5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

- 5.1. Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

6. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

- 6.1. Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.
- 6.2. Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets. Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 7.1. Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
- 7.2. Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

8. LEASE

- 8.1. Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

9. RETIREMENT BENEFITS

- 9.1. Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.
- 9.2. Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

SCHEDULE – XXIV

[See rule 4(1)]

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS**1. CONTINGENT LIABILITIES**

- 1.1. Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs. _____ (Previous year Rs. _____) In respect of:
- 1.1.1. Bank guarantees given by/on behalf of the Entity - Rs. _____ (Previous year Rs. _____).
- 1.1.2. Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity - Rs. _____ (Previous year Rs. _____).
- 1.1.3. Bills discounted with bank- Rs _____ (Previous year Rs. _____).
- 1.2. Disputed demands if any
- 1.3. In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity –Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 6.1. Value of Imports calculated on C.I.F Basis:
- 6.1.1. Capital Goods
- 6.1.2. Stores, Spares and Consumables
- 6.2. Expenditure in foreign currency:
- 6.2.1. Travel
- 6.3. Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Banks in Foreign Currency
- 6.4. Other Expenditure:
- 6.4.1. Commission on Sales
- 6.4.2. Legal and Professional Expenses
- 6.4.3. Miscellaneous Expenses
- 6.4.4. Remuneration to auditors:
- Taxation matters
 - For management services
 - For certification
 - Others
- 6.5. Earnings:

7. Corresponding figures for the previous year have to be regrouped/ rearranged, wherever necessary.

Schedules I to XXIV are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at _____ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

[F. No. 3/7/2020-EM(Part)]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.